पूर्व मध्य रेल

हॉल्ट स्टेशनों के लिए ठेकेदार की नियुक्ति

एतद् द्वारा रेल प्रशासन की ओर से समय–समय पर यथा निर्धारित कमीशन पर दानापुर मंडल के निम्नलिखित हॉल्ट स्टेशनों के लिए पॉच (5) वर्ष की अवधि हेतु हॉल्ट ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए अलग–अलग आवेदन आमंत्रित किय जाते हैं । आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04.03.2025 अपराह्न 14:00 तक है ।

हाल्ट का नाम– (आरा सेक्शन):- 1. सर्वोदय, (पटना-गया सेक्शन) :– 2 मसौढ़ी कोर्ट । (पटना साहिब सेक्शन):– **3. बुद्धदेवचक यादव नगर 4. सुल्तानपुर ग्राम 5. सिंगरियावॉं 6. मछरियावॉं 7. लच्छूबीघा** 8. दीदारगंज 9. गोकुल नगर । **(बख्तियारपुर - राजगीर सेक्शन):- 10. नूरसराय 11. मुरहारी** (किउल–गया सेक्शन):– 12. **हीसुआ 13. मोहम्मदपुर 14. एकसारी** 15. सरसु (झाझा सेक्शन):– 16. लाखोचक ।

पात्रता मापदंड :- मौजूदा दिशानिर्देश एवं गत अधिसूचना के अनुसार, पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं ।

"आवेदक को आवेदन के साथ नीचे दिए गए सभी निम्नलिखित आवश्यक 'शर्तो को पूरा करना होगा साथ ही इनसे संबंधित दस्तावेजों की प्रति भी जमा करनी होगी ।

1. आवेदक को स्थानीय निवासी होना चाहिए जिस जिला में हॉल्ट स्टेशन अवस्थित है । आवेदक को स्थानीय होने का प्रमाण–पत्र उस जिला के डी.एम./एस.डी.एम./एडीएम/बीडीओ/सीओ द्वारा जारी किया हुआ या निर्वाचन पहचान पत्र/आधार होना चाहिए ।
2. आवेदक को न्यूनतम दसवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । दसवी कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत होना चाहिए ।
3. आवेदक का उम्र दिनांकः 04.03.2025 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए । उम्र के सत्यापन के समर्थन में बोर्ड/विश्वविधालय द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अवश्य होना चाहिए ।
4. आवेदक को चिकित्सा प्रमाण–पत्र नीचे दिए गए परफोर्मा के अनुसार प्रस्तुत करना होगा जिसमे चुस्त–दुरूस्त सेवा हेतु स्वस्थ होने एव किसी प्रकार के छुआछूत की बीमारी से मुक्त होने का उल्लेख हो । (चिकित्सा प्रमाण–पत्र निबंधित पेशेवर चिकित्सक द्वारा जारी होना चाहिए) ।
5. आवेदक का किसी प्रकार के अपराधिक मामले मे संलिप्त नहीं होने के संबंध में चरित्र प्रमाण–पत्र थाना प्रभारी/बी.डी.ओ./सी.ओ./आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए । आवेदन जमा करने की तिथि से 06 महीने के अन्दर का प्रमाण–पत्र होना चाहिए ।
6. आवेदक को अनुंलग्नक 'A' में दिया गया शपथ पत्र जो की नोटरी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।

अन्य शर्तें :-

1. चयनित आवेदक को 2000/(दो हजार) रूपये या ज्यादा जैसा भी निर्धारित किया जाएगा सुरक्षा राशि के रूप में हॉल्ट ठीकेदार को सामग्री मुहैया एवं रेलवे के हित के लिए रेल प्रशासन के पास नगद जमा करना होगा जो ठेका समाप्ति अथवा निरस्तिकरण के बाद बिना व्याज वापस किया जाएगा ।
2. हॉल्ट ठेकेदार को रेल प्रशासन के साथ एक एकरारनामा करना होगा तथा एकरारनामे के शर्तो एवं अनुबंधो के अनुसार हॉल्ट के कार्य का संचालन करना होगा ।
3. आवेदक एक ही स्टेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
4. एक से अधिक आवेदक योग्य पाये जाने पर इसका निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा ।

आवेदन पत्र मुहरबंद लिफाफे में होगा जिसके उपर में " ....हॉल्ट/फ्लैग स्टेशन के हॉल्ट ठेकेदार के चयन हेतु आवेदन " लिखा होना चाहिए और इसे वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे , दानापुर, पो0–खगौल, जिला–पटना–801105 के कार्यालय में उक्त तिथि तक या इसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए । (केवल शनिवार, रविवार एवं अन्य अवकाश) । उक्ततिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जायगा।

इसके पूर्व में उपरोक्त हाल्ट के लिए प्राप्त आवेदनों को सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

रेल प्रशासन को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है ।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (वा0)
दानापुर

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेल, दानापुर
E C Railway

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन का स्वरूप

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम:
3. शैक्षणिक योग्यता (अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र) संलग्न करें
4. जन्म तिथि (अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
5. निवास प्रमाणपत्र (अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्नकरें)
6. चरित्र प्रमाणपत्र (अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्नकरें)
7. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्नकरें)
8. हाल्ट से निवास स्थान की दूरी (अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्नकरें)
9. दूरभाष/मोबाईल संख्या–

आवेदन कर्त्ता का स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

उपरोक्त सूचना मेरे जानकारी से सही/सत्य है । इसमें किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या गलत सूचना पायी जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है । अधिसूचना में वर्णित सभी नियम/शर्तें को पढ़कर समझ लिया जो पूर्णतः स्वीकार है ।

आवेदक का हस्ताक्षर..............................

तिथि:..

उपरोक्त मॉगे गये प्रमाण–पत्र के आलोक में स्व–अभिप्रमाणित (**Self-attested**) प्रति संलग्न करना आवश्यक है । अधूरे भरे हुए फार्म स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

नोट–इस अधिसूचना के आलोक में प्राप्त सभी अथवा किसी आवेदन/अधिसूचना को किसी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित है ।

....

अनुलग्नक-**'A'**

'शपथ पत्र का प्रारूप

टिकट का स्थान

नोटरी का शपथ पत्र

मैं ....

पिता श्री ....

पता ....

नीचे दिए गये सूचना मेरे जानकारी में सत्य/सही है ।

(1) चरित्र प्रमाण–पत्र जारीकर्त्ता ....
पत्रांक संख्या...दिनांक: ....

(2) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर्त्ता...
पत्रांक संख्या...दिनांक: ....

(3) निवास प्रमाण पत्र जारी कर्त्ता...
पत्रांक संख्या...दिनांक: ....

(4) माध्यमिक (10^{th} standard) प्रमाण पत्र जारी कर्त्ता ....
पत्रांक संख्या...दिनांक: ....

उपरोक्त प्रमाण पत्रों में वर्णित सूचनाओ मे अगर गलत सूचना/त्रुटि पायी जाती है तो रेल प्रशासन को यह अधिकार है कि उनका जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनका ठेका/नियुक्ति किसी स्तर पर रद्द कर दिया जायेगा एवं भविष्य में हॉल्ट ठेकेदार की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने से भी मना/वंचित कर दिया जा सकता है ।

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर

सहायक वाणिज्य प्रबंधक
Asstt. Comml. Manager
पूर्व मध्य रेल ...
E.C. Rly ...

Scanned with OKEN Scanner